The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 4 | April 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF: 5.6
Website: www.theacademic.in

बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों का योगदान: एक समकालीन अध्ययन

Dharmendra Kumar Paswan
Research Scholar, University Department of Political Science
Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, Bihar

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.20127078

ARTICLE DETAILS

Research Paper
Accepted: 22-04-2026
Published: 10-05-2026

Keywords:
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार विधानसभा, सामाजिक न्याय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व ।

ABSTRACT

भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना सामाजिक न्याय, समानता और समावेशी विकास पर आधारित है। बिहार जैसे सामाजिक रूप से बहुस्तरीय और जातिगत संरचना वाले राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल संवैधानिक आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों ने इन समुदायों को राजनीतिक भागीदारी का अवसर प्रदान किया है, जिसके माध्यम से सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, रोजगार, महिला सशक्तिकरण तथा कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला है। स्वतंत्रता के बाद विशेष रूप से कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री, जीतन राम मांझी तथा अन्य दलित एवं आदिवासी नेताओं ने बिहार की राजनीति में वंचित वर्गों की आवाज़ को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। इन विधायकों ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति, आवास योजनाओं, पंचायत आरक्षण, महादलित विकास मिशन, शिक्षा विस्तार, भूमि सुधार तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में कार्य किया। बिहार सरकार की विभिन्न समितियों एवं आयोगों की रिपोर्टों से स्पष्ट होता है कि दलित एवं

आदिवासी समुदायों के उत्थान हेतु बजटीय प्रावधानों और योजनाओं में निरंतर वृद्धि हुई है। हालाँकि, प्रतिनिधित्व के बावजूद अनेक चुनौतियाँ जैसे राजनीतिक दलों पर निर्भरता, सीमित नीति-निर्माण क्षमता, जातीय ध्रुवीकरण, आर्थिक विषमता तथा प्रशासनिक अक्षमता आज भी विद्यमान हैं। यह अध्ययन बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विधायकों की समकालीन भूमिका का विश्लेषण करता है तथा यह दर्शाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनका सशक्त प्रतिनिधित्व राज्य के समावेशी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

प्रस्तावना

बिहार भारतीय राजनीति और सामाजिक संरचना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य रहा है। यहाँ की सामाजिक संरचना जाति आधारित रही है, जिसने लंबे समय तक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अवसरों के वितरण को प्रभावित किया।[1] अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय ऐतिहासिक रूप से सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता, आर्थिक निर्धनता तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन का सामना करते रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 17, 46 तथा 330-332 के अंतर्गत इन समुदायों को सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए।[2]

बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अनेक सीटें आरक्षित की गईं, जिससे दलित एवं आदिवासी समुदायों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। वर्तमान समय में बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी लगभग 19.65 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी लगभग 1.68 प्रतिशत है।[5] यह जनसंख्या अनुपात राज्य की राजनीति और नीतिगत निर्णयों में उनकी भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है।[3]

स्वतंत्रता के बाद बिहार में दलित राजनीति का स्वरूप धीरे-धीरे विकसित हुआ। प्रारंभिक दशकों में दलित नेता मुख्यतः राष्ट्रीय दलों के अधीन कार्य करते थे, परंतु बाद में सामाजिक न्याय आधारित राजनीति के उदय ने उन्हें अधिक राजनीतिक शक्ति प्रदान की। भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले प्रमुख दलित मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने प्रशासनिक समावेशन और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी। इसके बाद रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी और अन्य नेताओं ने दलित चेतना को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने का प्रयास किया।[4]

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों ने बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, पंचायत प्रतिनिधित्व तथा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर दलित एवं आदिवासी नेतृत्व को बढ़ावा दिया, जिससे ग्रामीण लोकतंत्र में उनकी सहभागिता बढ़ी।[7] इसी प्रकार, महादलित विकास मिशन तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं ने शिक्षा, छात्रवृत्ति, कौशल विकास और आवासीय सुविधाओं के विस्तार में भूमिका निभाई।[5]

फिर भी, बिहार में सामाजिक-आर्थिक विषमता की समस्या गंभीर बनी हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) तथा विभिन्न शोध अध्ययनों के अनुसार अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर राज्य की औसत दर से कम है तथा अधिकांश आबादी असंगठित श्रम क्षेत्र में कार्यरत है।[9] भूमि स्वामित्व, स्वास्थ्य सुविधाओं और डिजिटल संसाधनों तक सीमित पहुँच उनके विकास में बाधा उत्पन्न करती है।[6]

समकालीन बिहार की राजनीति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों की भूमिका केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन, नीति निर्माण और संसाधनों के पुनर्वितरण के प्रमुख वाहक बन चुके हैं। यह अध्ययन इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों की भूमिका का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।[7]

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives)

1. बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों की भूमिका का विश्लेषण करना।
2. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विधायकों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक न्याय एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए गए योगदान का अध्ययन करना।
3. बिहार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक सशक्तिकरण के मध्य संबंध का मूल्यांकन करना।
4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उससे संबंधित चुनौतियों का अध्ययन करना।
5. बिहार में समावेशी विकास हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों की भावी भूमिका एवं संभावनाओं का परीक्षण करना।

शोध पद्धति (Methodology)

यह अध्ययन मुख्यतः गुणात्मक (Qualitative) एवं वर्णनात्मक (Descriptive) शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन हेतु द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिनमें बिहार विधानसभा की समिति रिपोर्टें, सरकारी दस्तावेज, अनुसंधान पत्र, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें, जनगणना आँकड़े, नीति आयोग, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS), NSSO तथा विभिन्न अकादमिक पुस्तकों एवं शोध आलेखों को शामिल किया गया है।

अध्ययन में बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं, महादलित विकास मिशन, पंचायत आरक्षण नीति तथा शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित कार्यक्रमों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, सामाजिक न्याय आधारित राजनीति के विकास तथा दलित एवं आदिवासी नेतृत्व की समकालीन भूमिका को समझने हेतु तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

शोध के दौरान राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच अंतर्संबंध का मूल्यांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न शोध अध्ययनों एवं सरकारी आँकड़ों के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों की शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल पहुँच, रोजगार एवं सामाजिक भागीदारी की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों का योगदान

सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों ने बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरक्षण व्यवस्था ने इन समुदायों को राजनीतिक मंच प्रदान किया, जिसके माध्यम से सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता और जातीय उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई। बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय आंदोलन ने वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया।[8]

दलित एवं आदिवासी विधायकों ने पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में आरक्षण के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक सहभागिता बढ़ी। पंचायत चुनावों में आरक्षण के कारण हजारों दलित एवं आदिवासी प्रतिनिधि स्थानीय शासन का हिस्सा बने, जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत किया।[9]

शिक्षा के क्षेत्र में योगदान

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख माध्यम माना। बिहार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति योजनाओं, आवासीय विद्यालयों, कोचिंग योजनाओं तथा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिहार सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क UPSC/BPSC कोचिंग योजना ने दलित एवं आदिवासी युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं में अवसर प्रदान किए हैं। हाल के वर्षों में इस योजना के अंतर्गत अनेक विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है।[10]

महादलित विकास मिशन तथा छात्रवृत्ति योजनाओं ने विद्यालयी शिक्षा में नामांकन दर बढ़ाने में सहायता की। इसके अतिरिक्त, विधायकों द्वारा विद्यालय निर्माण, सड़क, बिजली और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार हेतु स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का उपयोग किया गया।

आर्थिक विकास और रोजगार

बिहार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विधायकों ने ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनरेगा, स्वयं सहायता समूह (SHG), कौशल विकास योजनाएँ तथा महादलित विकास योजनाओं के माध्यम से गरीब समुदायों की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया गया।[11]

दलित एवं आदिवासी विधायकों ने भूमि सुधार, कृषि सहायता, पशुपालन, लघु उद्योग तथा स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया। बिहार में जीविका समूहों में अनुसूचित जाति महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत किया है।

4. स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, पोषण कार्यक्रमों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्राथमिकता दी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, मातृत्व योजनाओं, वृद्धावस्था पेंशन तथा पोषण अभियानों के माध्यम से कमजोर वर्गों तक सरकारी योजनाओं की पहुँच बढ़ी।

इसके अतिरिक्त, दलित एवं आदिवासी समुदायों के विरुद्ध अत्याचार रोकने हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की माँग भी इन विधायकों द्वारा की जाती रही है।[12]

आलोचना (Criticism)

यद्यपि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों ने सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर भी कई आलोचनाएँ सामने आती हैं। पहली आलोचना यह है कि अनेक विधायक राजनीतिक दलों की नीतियों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं, जिसके कारण वे स्वतंत्र रूप से समुदाय के मुद्दों को प्रभावी ढंग से नहीं उठा पाते। दूसरी आलोचना यह है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बावजूद दलित एवं आदिवासी समुदायों की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि स्वामित्व और रोजगार के क्षेत्र में गंभीर असमानताएँ विद्यमान हैं।[13] तीसरी आलोचना जातीय राजनीति से संबंधित है। बिहार में कई बार दलित राजनीति सामाजिक परिवर्तन के बजाय केवल चुनावी समीकरणों तक सीमित हो जाती है। इससे नीतिगत सुधारों की प्रक्रिया प्रभावित होती है। चौथी आलोचना प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं योजनाओं के कमजोर क्रियान्वयन से जुड़ी है। कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाता, जिससे सामाजिक न्याय की अवधारणा कमजोर होती है।[14]

भविष्य की दिशा (Way Forward)

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों को केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व तक सीमित न रखकर नीति निर्माण की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका दी जानी चाहिए।

2. शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देकर दलित एवं आदिवासी युवाओं को आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए।

3. पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा तक नेतृत्व विकास कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जिससे समुदाय आधारित नेतृत्व को बढ़ावा मिले।

4. भूमि सुधार, कृषि सहायता, उद्यमिता विकास और कौशल प्रशिक्षण योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

5. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण योजनाओं की निगरानी हेतु पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

6. स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तिकरण को SC/ST विकास नीति का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।

7. सामाजिक भेदभाव एवं जातीय हिंसा को रोकने के लिए संवैधानिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion)

बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने सामाजिक न्याय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा विस्तार, आर्थिक सशक्तिकरण तथा कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वंचित समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है। पंचायत आरक्षण, महादलित विकास मिशन, छात्रवृत्ति योजनाएँ तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम उनके प्रयासों के प्रमुख उदाहरण हैं। हालाँकि, सामाजिक-आर्थिक विषमता, जातीय भेदभाव, प्रशासनिक अक्षमता तथा सीमित नीति-निर्माण क्षमता जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है; वास्तविक सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा, आर्थिक अवसर, सामाजिक सम्मान और प्रशासनिक पारदर्शिता आवश्यक है।[15]

समकालीन बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों की भूमिका लोकतंत्र को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। यदि उन्हें प्रभावी नीति-निर्माण, संसाधन प्रबंधन और नेतृत्व विकास के पर्याप्त अवसर दिए जाएँ, तो वे बिहार को सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

संदर्भ (References)

1. Government of Bihar. (2023). *Report of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare Committee*. Patna: Bihar Legislative Assembly.
2. Kumar, A. (2024). *Political Empowerment of Scheduled Castes in Bihar*. International Journal of Novel Research and Development, 9(5), 112-125.
3. Bihar Legislative Assembly. (2022). *Anusuchit Jati Evam Janjati Kalyan Samiti Report*. Patna.

4. Basu, D. D. (2021). *Introduction to the Constitution of India*. New Delhi: LexisNexis.
5. Government of Bihar. (2023). *Caste Based Survey Report*. Patna: General Administration Department.
6. Jaffrelot, C. (2003). *India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India*. New Delhi: Permanent Black.
7. Pai, S. (2011). *Dalit Assertion and the Unfinished Democratic Revolution*. New Delhi: Penguin Books.
8. Government of Bihar. (2024). *Mahadalit Vikas Mission Annual Report*. Patna.
9. International Institute for Population Sciences (IIPS). (2021). *National Family Health Survey (NFHS-5), Bihar Fact Sheet*. Mumbai: IIPS.
10. Vaidehi, R., Reddy, A. B., & Banerjee, S. (2021). *Explaining Caste-based Digital Divide in India*. Social Science Research Network.
11. NSSO. (2019). *Employment and Unemployment Situation among Social Groups in India*. New Delhi: Ministry of Statistics and Programme Implementation.
12. Government of India. (2020). *Report of the National Commission for Scheduled Castes*. New Delhi.
13. Omvedt, G. (2017). *Dalits and the Democratic Revolution*. New Delhi: Sage Publications.
14. Ministry of Panchayati Raj. (2022). *Status of Panchayati Raj Institutions in India*. New Delhi.
15. Government of Bihar. (2025). *Free* Coaching Scheme for SC/ST Students. Patna: Welfare Department. (Navbharat Times)